

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 24/09/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 23.09.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 53/25 धारा 137(2),64(1),87 BNS व 5L/5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक राजू दिवाकर मय हमराह द्वारा रेलवे स्टेशन करीमुद्दीनपुर पर चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 53/25 धारा 137(2),64(1),87 BNS व 5L/5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त आशीष कुमार पासवान पुत्र रामभिखम पासवान को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01. आशीष कुमार पासवान पुत्र रामभिखम पासवान निवासी ग्राम बद्धोपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

02. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 206/25 धारा 137(2),65(1),87 BNS व 5L/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.09.2025 को उ0नि0 शहीर सिद्धीकी मय हमराह द्वारा रेलवे स्टेशन ढोढ़ाडीह के पास से चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 206/25 धारा 137(2),65(1),87 BNS व 5L/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र सुखलाल को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01. देवेन्द्र पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम सवरूपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 26 वर्ष

03. थाना जमानिया पुलिस टीम द्वारा 2700 पाऊच देशी शराब ब्ल्यू लाईम (प्रत्येक पाऊच 200ML) कुल 540 लीटर व 01 अदद वाहन महिन्द्रा स्कार्पियो के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.09.2025 को उ0नि0 श्री अरुण पाण्डेय व उ0नि0 अभिनव गुप्ता मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर बहादुरपुर पुलिया के पास से अभियुक्त मन्टू यादव पुत्र बनारसी यादव को गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 60 पेटी में 2700 पाऊच देशी शराब ब्ल्यू लाईम (प्रत्येक पाऊच 200ML) कुल 540 लीटर व 01 अदद वाहन महिन्द्रा स्कार्पियो नं0 OR02 AW 1080 बरामद किया गया । उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 339/2025 धारा 60/72 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. मन्टू यादव पुत्र बनारसी यादव निवासी जगदीशपुर थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर उ0प्र0 उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी-

01. 60 पेटी में 2700 पाऊच देशी शराब ब्ल्यू लाईम (प्रत्येक पाऊच 200ML) कुल 540 लीटर

02. 01 अदद वाहन महिन्द्रा स्कार्पियो नं0 OR02 AW 1080

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 339/2025 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना जमानिया गाजीपुर

04- थाना नोनहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 282/2025 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री पवन कुमार उपाध्याय द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर रसूलपुर हाईवे पुलिया के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 282/2025 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त शिवमुनी उर्फ शिवम यादव पुत्र स्व0 मुन्ना यादव को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01. शिवमुनी उर्फ शिवम यादव पुत्र स्व0 मुन्ना यादव निवासी ग्राम नारंगपुर रानीपुर (चकिया) थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 282/2025 धारा 105 बीएनएस थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

05- ऑपरेशन कन्विकशन

“श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “**OPERATION CONVICTION**” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000/-रु अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सजा ।

दिनांक 23.09.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना बरेसर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2022 धारा 302 से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त 1. सतेन्द्र राम पुत्र महेश राम निवासी ग्राम सागापाली दयाल सिंह थाना बरेसर जनपद गाजीपुर को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास तथा 1,00,000/- (01 लाख रुपये) अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया

06. थाना भांवरकोल पुलिस द्वारा 02 नफर गो तस्करो को किया गया गिरफ्तार ।

अभियुक्तगणों के कब्जे से 04 अदद गोवंश , 01 अदद तमंचा 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.09.2025 को थानाध्यक्ष भावरकोल मय हमराह द्वारा थाना क्षेत्र के बहद ग्राम शाहपुर से 02 अदद गो तस्करो को गिरफ्तार किया गया । कब्जे से 01 अदद वाहन, 04 अदद गोवंश, 01 अदद तमंचा 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर व 04 अदद रस्सी की बरामदगी की गयी । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01.सुजीत गुप्ता पुत्र स्व0 रामकेवल गुप्ता स्थायी पता मासिरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ व हाल पता ग्राम चकजैनब, जहूराबाद थाना बरेसर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष ।

02.रामबहादुर सिंह उर्फ बाउल पुत्र जनमेजय सिंह ग्राम लखनौली थाना बरेसर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 208/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोहत्या निवारण अधिनियम व 3/25 आर्म्स थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर ।

बरामदगी का विवरण-

01. 01 अदद वाहन में 04 अदद गोवंश व 04 अदद रस्सी

02. 01 अदद तमंचा 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर